न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––671/2025

प्रविष्टि दिनांक––17.12.2025

1. गणेश नारायण शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी चैलों की ढाणी वाटिका सांगानेर जयपुर राज0
2. राजेश कुमार शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 82/137 सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर राज0
3. राजेश पुत्र हजारी लाल जाति जाट निवासी नांगल नरहर तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4. रामप्रसाद चौधरी पुत्र रामनारायण चौधरी जाति जाट निवासी सवाईजयसिंहपुरा कुमारियावास तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

बनाम

प्रार्थीगण

तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार जाट –प्रार्थी
पेरोकार सरकार– तहसीलदार निवाई

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत दुरूस्त किये जाने शीट

दिनांक 20/1/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3/3 रकबा 3.5789 हैक्टेयर वाके ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी तहसील निवाई जिला टोंक राज0 में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज मालिक चले आ रहे है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर की ऑनलाईन शीट में तरमीम करते समय प्रार्थी के रकबे की तरमीम कम कर दी गई है। मौके पर प्रार्थी संपूर्ण रकबे पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी की तरमीम खसरा नम्बर 3/4 की तरफ बढ़ेगी और खसरा नम्बर 3/4 की तरमीम खसरा नम्बर 1 की तरफ बढ़ेगी। ऑनलाईन शीट में खसरा नम्बर 1 की तरमीम रकबे से ज्यादा हो रखी है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। बिनाय प्रार्थना पत्र 10 रोज पूर्व पैदा हुआ जब प्रार्थीगण ने ऑनलाईन शीट निकलावाकर देखी। पटवार हल्का से व तहसीलदार निवाई से शीट में शुद्धि करने हेतु कहा तो उन्होंने न्यायालय का आदेश लाने हेतु कहा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्तमान ऑनलाईन नक्शा शीट को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 3/3 की तरमीम खसरा नम्बर 3/4 की तरफ एवं खसरा नम्बर 3/4 की तरमीम खसरा नम्बर 1 की तरफ खिसकाई जाकर शीट के रकबा बरारी करते हुए खसरा नम्बर 3/3 रकबा 3.5789 है0 ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी की तरमीम रकबा अनुसार दुरूस्त की जाकर वर्तमान ऑनलाईन शीट में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेजात के रूप में जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार निवाई को तलब किया गया। तहसीलदार निवाई की ओर से पत्रांक 439 दिनांक 16.01.2026 से रिपोर्ट प्राप्त। जो शामिल पत्रावली हो। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की

निवाई (टोंक)

सह–खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3/3 रकबा 3.5789 है0 जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्ड है एंव प्रार्थी 3.5789 है0 भूमि पर ही काबिज है परन्तु पटवार हल्का के पास उपलब्ध नक्शा शीट की रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बरों में अंतर पाया गया। खसरा नम्बर 1 में 0.6664 है0 खसरा नम्बर 3/1 में 0.516 है0 एवं खसरा नम्बर 9/3 में 0.0845 है0 भूमि ज्यादा है व खसरा नम्बर 3/3 में 0.7876 है0 खसरा नम्बर 3/4 में 0.0384 है0 भूमि नक्शा शीट में कम पड़ती है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम बावत् दुरूस्त किये जाने शीट में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 3/3 की तरमीम खसरा नम्बर 3/4 की तरफ एवं खसरा नम्बर 3/4 की तरमीम खसरा नम्बर 1 की तरफ खिसकाई जाकर शीट के रकबा बरारी करते हुए खसरा नम्बर 3/3 रकबा 3.5789 है0 ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी की तरमीम रकबा अनुसार तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट में शामिल नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाकर वर्तमान ऑनलाईन शीट में संशोधन किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बरान् की रकबा बरारी करने एवं वर्तमान शीट में जमाबंदी में वर्णित रकबा अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1 में 0.6664 है0 खसरा नम्बर 3/1 में 0.516 है0 एवं खसरा नम्बर 9/3 में 0.0845 है0 भूमि ज्यादा है व खसरा नम्बर 3/3 में 0.7876 है0 खसरा नम्बर 3/4 में 0.0384 है0 भूमि नक्शा शीट में कम पड़ती है। तथा पेरोकार सरकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् दुरूस्त किये जाने शीट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् दुरूस्त किये जाने शीट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम सजिया पटवार हल्का गुन्सी के राजस्व रिकॉर्ड में आपकी रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस में वर्णित खसरा नम्बरान् की तरमीम जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार वर्तमान ऑनलाईन शीट में करते हुये प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3/3 रकबा 3.5789 हैक्टैयर की तरमीम रकबा अनुसार वर्तमान ऑनलाईन शीट में कर पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 20/1/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)
(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई